


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- /20

दिनेश बनाम उमराव

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा हाजिर। अप्रार्थी संख्या 25, 26 ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चौधरी ने अण्डरटेकिंग दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24, 27, 28 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24, 27, 28 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। जवाब अप्रार्थी संख्या 25, 26 का जवाब बन्द किया जाता है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथार्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	